संख्या-465/2025/279के-2/22-3-2025-17(452)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 25 सितम्बर, 2025

विषयः- जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सियाराम सोनी पुत्र श्री महादेव सोनी, निवासी जनपद-सुलतानपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-6208/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.02.2025) दिनांक-17.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सियाराम सोनी पुत्र श्री महादेव सोनी, ग्राम-लम्भुआ, थाना-लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर का निवासी है। दिनांक 29.09.2005 को न्यायालय से बंदी सुलतान को लेकर दो आरक्षी सुलतानपुर रेलवे स्टेशन से जिला कारागार में दाखिल करने जा रहे थे तभी अचानक से अभियुक्त सियाराम सोनी ने चाकू से प्राणघातक हमला किया जिससे आरक्षी नन्दलाल घायल होकर गिर गया तथा दूसरे आरक्षी बड़ेलाल को चाकू से मारने लगा उसके बाद बंदी सुलतान रस्सी काटकर हथकड़ी के साथ सियाराम सोनी के साथ भाग गया। चोटिल कांस्टेबिल बड़ेलाल को जिला अस्पताल ले गये जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-358/2008 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 225 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 08.07.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश-31.03.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। उक्त के अतिरिक्त (1) एसटी नं0-2398/2010, के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-457, 380 में 03-03 वर्ष की कारावास तथा धारा 411 में 02 वर्ष व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। (2). एसटी०न०-6171/2011 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-353, 332, 506 में 02-02 वर्ष एवं 504 में 01 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया है। दिनांक-18-11-2024 तक बन्दी की आयु 47 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है जिससे आस-पास के लोगों के अन्दर अब भी भय व्याप्त होने, अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी अपराधी किस्म का व्यक्ति है पैरोल पर छूटने पर फिर से जघन्य अपराध कारित कर सकने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति सामान्य होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी सियाराम सोनी पुत्र श्री महादेव सोनी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में दिनांक 29.09.2005 को न्यायालय से बंदी सुल्तान को लेकर दो आरक्षी सुलतानपुर रेलवे स्टेशन से जिला कारागार में दाखिल करने जा रहे थे तभी अचानक से अभियुक्त सियाराम सोनी ने चाकू से प्राणघातक हमला किया जिससे आरक्षी नन्दलाल घायल होकर गिर गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा दूसरे आरक्षी बड़ेलाल को चाकू से मारने लगा उसके बाद बंदी सुलतान रस्सी काटकर हथकड़ी के साथ सियाराम सोनी के साथ भाग गया। चोटिल कांस्टेबिल बड़ेलाल को जिला अस्पताल ले गये वहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सियाराम सोनी पुत्र महादेव सोनी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सियाराम सोनी पुत्र (बन्दी संख्या-34/2013) पुत्र श्री महादेव सोनी, निवासी- जनपद-सुलतानपुर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैवः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-465/2025/279के-2/22-3-2025-17(452)/2025

दिनांक 25 सितम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सियाराम सोनी पुत्र श्री महादेव सोनी, ग्राम-लम्भुआ, थाना-लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर का निवासी है। दिनांक 29.09.2005 को न्यायालय से बंदी सुलतान को लेकर दो आरक्षी सुलतानपुर रेलवे स्टेशन से जिला कारागार में दाखिल करने जा रहे थे तभी अचानक से अभियुक्त सियाराम सोनी ने चाकू से प्राणघातक हमला किया जिससे आरक्षी नन्दलाल घायल होकर गिर गया तथा दूसरे आरक्षी बड़ेलाल को चाकू से मारने लगा उसके बाद बंदी सुलतान रस्सी काटकर हथकड़ी के साथ सियाराम सोनी के साथ भाग गया। चोटिल कांस्टेबिल बड़ेलाल को जिला अस्पताल ले गये जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-358/2008 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 225 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 08.07.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश-31.03.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। उक्त के अतिरिक्त (1) एसटी नं0-2398/2010, के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-457, 380 में 03-03 वर्ष की कारावास तथा धारा 411 में 02 वर्ष व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। (2). एसटी०न०-6171/2011 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-353, 332, 506 में 02-02 वर्ष एवं 504 में 01 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया है। दिनांक-18-11-2024 तक बन्दी की आयु 47 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है जिससे आस-पास के लोगों के अन्दर अब भी भय व्याप्त होने, अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी अपराधी किस्म का व्यक्ति है पैरोल पर छूटने पर फिर से जघन्य अपराध कारित कर सकने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति सामान्य होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी सियाराम सोनी पुत्र श्री महादेव सोनी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में दिनांक 29.09.2005 को न्यायालय से बंदी सुल्तान को लेकर दो आरक्षी सुलतानपुर रेलवे स्टेशन से जिला कारागार में दाखिल करने जा रहे थे तभी अचानक से अभियुक्त सियाराम सोनी ने चाकू से प्राणघातक हमला किया जिससे आरक्षी नन्दलाल घायल होकर गिर गया तथा दूसरे आरक्षी बड़ेलाल को चाकू से मारने लगा उसके बाद बंदी सुलतान रस्सी काटकर हथकड़ी के साथ सियाराम सोनी के साथ भाग गया। चोटिल कांस्टेबिल बड़ेलाल को जिला अस्पताल ले गये वहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सियाराम सोनी पुत्र महादेव सोनी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in